संख्या- 01/2023/49/एक-1-2023-1-1099/2/2023

प्रेषक,

सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-1 **लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2023**

विषयः-निजी क्षेत्र के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में प्रस्तावित सरोज इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा विहित सीमा से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-207/डीएलआरसी/89(3)अनुमति/2021, दिनांक-30.01.2021 एवं पत्र संख्या-281/डी0एल0आर0सी0/2022, दिनांक-21.10.2022 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संस्था श्रीमती सरोज शिक्षण संस्थान द्वारा ग्राम-चांदसराय, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ द्वारा सरोज इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थापित करने के लिये बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी भूमि के विनियमितीकरण का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (यथा संशोधित) की धारा-89 की उपधारा-3 में वर्णित व्यवस्था तथा शासनादेश संख्या-928/एक-1-2021-रा0-1, दिनांक 26.10.2021 एवं तत्सम्बन्धी संशोधित शासनादेश संख्या-09/2022/1025(1)/एक-1-2022-रा0-1, दिनांक-23.12.2022 के आलोक में श्री राज्यपाल निजी क्षेत्र के अन्तर्गत संस्था श्रीमती सरोज शिक्षण संस्थान द्वारा ग्राम-चांदसराय, तहसील-मोहनलालगंज, जनपद-लखनऊ द्वारा सरोज इण्टरनेशनल विश्वविद्यालय, लखनऊ स्थापित करने के लिये बिना पूर्वानुमति के विहित सीमा 5.0586 हे0 से अधिक क्रय की गयी कुल 9.2994हे0 भूमि के जुर्माने सहित विनियमितीकरण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) संस्था द्वारा आवेदन करते समय निर्धारित जिलाधिकारी सर्किल दर के अनुसार आगणित कुल मूल्य के 10 प्रतिशत अर्थात् कुल रुपया 3,10,24,680/- (रुपये तीन करोड़ दस लाख चौबीस हजार छः सौ अस्सी मात्र) निर्धारित लेखा-शीर्षक ''राजस्व एवं पूंजीलेखे की प्राप्तियों के ब्योरेवार अनुमान'' के लेखाशीर्ष ''0029-भू-राजस्व-101-भू-राजस्व/कर-06-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

राजस्व संहिता-2006 के अन्तर्गत प्राप्तियां'' के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष ''03-अन्य प्राप्तियां'' में संस्था द्वारा जमा किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत भूमि का उपयोग निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु ही किया जायेगा। निर्धारित प्रयोजन से भिन्न उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा।

(3) यदि संस्था संहिता की धारा 89 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा प्रदान किये जाने के दिनांक से पाँच वर्ष के भीतर परियोजना स्थापित करने में विफल रहता है तो उक्त अनुज्ञा व्यपगत हो जायेगी और राजस्व संहिता की धारा 89 (2) के अधीन विहित सीमा से अधिक अर्जित/क्रय की गयी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जायेगी तथा धारा 105 के परिणाम लागू होगे। परन्तु यह कि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गयी अनुज्ञा की अवधि को तद्निमित्त कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रेतर तीन वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

(4) संस्था द्वारा क्रय की गयी भूमि के मध्य स्थित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित भूमि के विनिमय का प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर शासन को अलग से उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) जिलाधिकारी द्वारा विनियमितीकरण से पूर्व संस्था के सम्बन्धित गाटों के विक्रय पत्रों की जांच कर यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि प्रश्नगत गाटे संस्था द्वारा क्रय/अर्जित किए गए हैं।

(6) संस्था के अध्यक्ष/सचिव अथवा किसी अन्य पदाधिकारी/अधिकृत पदाधिकारी द्वारा भूमि का कोई भी भाग किसी संस्था/व्यक्ति को किसी भी रूप में शासन की पूर्वानुमति के बिना हस्तान्तरण/विक्रय नहीं किया जायेगा।

भवदीय,
सुधीर गर्ग
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. सचिव, श्रीमती सरोज सिंह शिक्षण संस्थान, 8 माल एवेन्यू, लखनऊ पिन-226001
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनुराग पटेल
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in